

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- एफ.2(ग)एसीपी/1994-111/ 488

दिनांक :- 21/6/2023

आदेश संख्या:- 20 / 2023-24

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफ.डी./रुल्स/2017 दिनांक 30.10.2017, 09.12.2017 एवं एफ.14(88)/एफ.डी./रुल्स/2008 दिनांक 12.01.2018 के अनुसरण में निम्नांकित कार्मिकों को कनिष्ठ लेखाकार के पद पर 27 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर उनके कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से प्राप्त संतोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण पत्र एवं संतान घोषणा पत्र के आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 6 में अंकित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद की तृतीय आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी.) पे मैट्रिक्स में लेवल L-13 स्वीकृत की जाती हैं।

क.सं.	नाम (सर्वश्री)	मेरिट/ बैच नं.	लिंक नम्बर	कनिष्ठ लेखाकार /समान लेवल के अन्य पद पर प्रथम कार्यग्रहण तिथि	तृतीय एसीपी देय तिथि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1.	शकील मोहम्मद	4/94	5048	26.02.1996	26.02.2023	9 वर्ष की एपीएआर प्राप्ति के आधार पर स्वीकृत
2.	भंवर लाल रणवां	7/94	4364	18.04.1996	18.04.2023	
3.	नन्छू राम जाट	20/94	3009	19.02.1996	19.02.2023	
4.	रमेश चारण	22/94	2465	19.02.1996	19.02.2023	
5.	सुरेश चन्द्र शर्मा	35/94	5052	19.02.1996	19.02.2023	
6.	नरेंद्र सिंह	36/94	3012	07.03.1996	07.03.2023	
7.	राकेश कुमार जैन	41/94	2471	19.02.1996	19.02.2023	
8.	गजाधर शर्मा	50/94	4293	19.02.1996	19.02.2023	
9.	नरेंद्र प्रसाद व्यास	54/94	3021	19.02.1996	19.02.2023	
10.	देवेन्द्र सिंह	56/94	4218	19.02.1996	19.02.2023	
11.	बाबू लाल सोलंकी	57/94	4369	19.02.1996	19.02.2023	
12.	अनिल कुमार कासलीवाल	70/94	4211	19.02.1996	19.02.2023	9 वर्ष की एपीएआर प्राप्ति के आधार पर स्वीकृत
13.	प्रकाश चन्द	74/94	2654	19.02.1996	19.02.2023	
14.	राकेश कविया	82/94	2482	19.02.1996	19.02.2023	9 वर्ष की एपीएआर प्राप्ति के आधार पर स्वीकृत
15.	भागीरथ मल बैरवाल	83/94	4372	19.02.1996	19.02.2023	9 वर्ष की एपीएआर प्राप्ति के आधार पर स्वीकृत
16.	जुगल बिहारी सक्सेना	90/94	2590	19.02.1996	19.02.2023	
17.	कैलाश चन्द तिवाडी	91/94	2683	19.02.1996	19.02.2023	
18.	हेमशंकर कुमावत	93/94	4325	19.02.1996	19.02.2023	
19.	दिनकर खमसरा	103/94	4288	19.02.1996	19.02.2023	9 वर्ष की एपीएआर प्राप्ति के आधार पर स्वीकृत
20.	कृष्ण कुमार गुप्ता	105/94	2687	19.02.1996	19.02.2023	
21.	लेखराम भास्कर	106/1994	2744	19.02.1996	19.02.2023	
22.	पेप सिंह राठौड	110/94	2655	19.02.1996	19.02.2023	
23.	मुकेश कुमार विजय	113/94	8766	19.02.1996	19.02.2023	
24.	विनोद कुमार वैष्णव	115/94	5968	19.02.1996	19.02.2023	9 वर्ष की एपीएआर प्राप्ति के आधार पर स्वीकृत
25.	किशोरी लाल प्रजापत	117/94	2689	11.03.1996	11.03.2023	
26.	संजय तिवाडी	118/94	5098	19.02.1996	19.02.2023	
27.	राजकुमार गर्ग	120/94	2490	19.02.1996	19.02.2023	
28.	महेन्द्र कुमार	129/94	2864	19.02.1996	19.02.2023	
29.	सुरेश कुमार चौधरी	146/94	5124	19.02.1996	19.02.2023	9 वर्ष की एपीएआर प्राप्ति के आधार पर स्वीकृत
30.	जगदीश प्रसाद गुप्ता	147/94	2591	19.02.1996	19.02.2023	9 वर्ष की एपीएआर प्राप्ति के आधार पर स्वीकृत

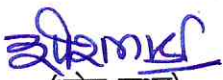
31.	पीरा राम स्वर्णकार	164/94	2657	19.02.1996	19.02.2023	9 वर्ष की एपीएआर प्राप्ति के आधार पर स्वीकृत
32.	करतार सिंह	167/94	2693	19.02.1996	19.02.2023	
33.	निकेश कलिया	176/94	3026	19.02.1996	19.02.2023	
34.	राजेश शर्मा	183/94	2513	22.02.1996	22.02.2023	
35.	संदीप कुमार जोशी	184/94	5145	19.02.1996	19.02.2023	9 वर्ष की एपीएआर प्राप्ति के आधार पर स्वीकृत
36.	प्रकाश चन्द्र गहलोत	192/94	2658	20.02.1996	20.02.2023	9 वर्ष की एपीएआर प्राप्ति के आधार पर स्वीकृत
37.	मुकेश माथुर	193/94	2880	28.02.1996	28.02.2023	
38.	महेश कुमार खत्री	195/94	2882	28.02.1996	28.02.2023	
39.	संजय सिंहल	196/94	5147	28.02.1996	28.02.2023	9 वर्ष की एपीएआर प्राप्ति के आधार पर स्वीकृत
40.	भगवान सहाय गुप्ता	197/94	4385	19.02.1996	19.02.2023	9 वर्ष की एपीएआर प्राप्ति के आधार पर स्वीकृत

उपरोक्त तालिका में क्रम संख्या 01, 12, 14, 15, 19, 24, 29, 30, 31 35, 36, 39 एवं 40 पर अंकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-प्रथम के गत 07 वर्ष में से पूरे 07 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने पर वित्त विभाग के आदेश दिनांक 27.07.2012 द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर गत 09 वर्ष में से 7 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की उपलब्धता के आधार पर तृतीय आशवासित कैरियर प्रगति इस शर्त पर स्वीकृत की जाती है कि भविष्य में उक्त अवधि के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपरोक्त कार्मिकों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 30.10.2017 के पैरा 14(2) एवं आदेश दिनांक 09.12.2017 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि इन्हें-

1. पुनरीक्षित वेतनमान 2017 के अनुसार वेतन भुगतान किया जा रहा है।
2. पूर्व में तृतीय आशवासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृति नहीं की गई है।
3. कॉलम संख्या 6 में उल्लेखित आशवासित कैरियर प्रगति देय तिथि से गत 7 वर्ष पूर्व तक कोई दण्ड नहीं दिया गया है।
4. इनके विरुद्ध फौजदारी/विभागीय जांच लंबित अथवा प्रस्तावित नहीं है।
5. गत 7 वर्षों से नियमित वेतन वृद्धियां मिल रही हैं।

इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि संबंधित कार्मिकों की सेवापुस्तिका में आवश्यक रूप से की जावे।


(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

दिनांक :- 21/06/2023

क्रमांक :- एफ.2(ग)एसीपी/1994-III/488

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....
2. सहायक निदेशक (एपीएआर) मुख्यालय।
3. संबंधित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-I.....
4. निजी सचिव, निदेशक महोदय मुख्यालय।
5. उपनिदेशक (एसीपी) विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. निजी पत्रावली हेतु मूल आवेदन पत्र/गार्ड फाईल/गोपनीय अनुभाग।


(राजेन्द्र प्रसाद रैगर)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)